संख्या-1/2018/161/एक-12-2018-रा0-12

प्रेषक,

जय प्रकाश तिवारी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-12 **लखनऊ: दिनांक: 17 अप्रैल, 2018**

विषय: - वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में प्रावधानित धनराशि (मतदेय/भारित) के समक्ष वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-361/15सी0-90/2017-18, दिनांक 09-04-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-52 के लेखाशीर्षक-2075-विविध सामान्य सेवायें-800-अन्य व्यय-07-उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अधीन प्रतिकर-42-अन्य व्यय के अन्तर्गत रूपया 1-00 लाख (रूपये एक लाख मात्र) की धनराशि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च,2018 मे दिये गये दिशा निर्देशों के अधीन निम्नानुसार व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की माननीय राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त धनराशि जिस प्रयोजन के लिये दी जा रही है, उसी मद में व्यय की जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में व्यय कर ली जायेगी।

(3) उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

भवदीय,

(जय प्रकाश तिवारी)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 1/2018/161(1)/एक-12-2018-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5 वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- राजस्व अनुभाग-6/ गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश तिवारी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in